70/18

A2/3

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 70/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

सरजीतसिंह आत्मज श्री केहरसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

...वादी

बनाम

1. बलवीरसिंह एवं
2. अवतारसिंह आत्मजन श्री केहरसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
3. राजमन्दरसिंह,
4. छिन्दरसिंह एवं
5. बलतेजसिंह आत्मजन श्री हरनेकसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा	(वादीगण)
श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1से5)
पैरोकार राज	(प्रतिवादी–6)

दिनांक 10 जुलाई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि में से 2.372 हैक्टर कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर एवं 0.791 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है. उक्त भूमि संयुक्त खाता की है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है. वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर सुधार कार्य करवाना चाहता है किन्तु संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि के सुधार कार्य करवापाने में असमर्थ है जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है. वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया गया कि वह उक्त संयुक्त खाता की भूमि का सहमति से विभाजन करवाकर किलावाईज राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवावें तथा प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 15 मई, 2018 [?] को सहमति से बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया. यही वादकारण [?] उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर [?] के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि [?] का विभाजन कर पृथक पृथक लगान कायम करने का

सहायक [illegible] एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

20/18

A2/4

निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 7 एच.एच. के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तु की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 31 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7394 3114 2540, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8310 2023 4023, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4744 0616 7097, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5637 4555 4574, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4994 5924 3314 एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8863 9208 6348 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र कैम्प– 5 जी छोटी में दिनांक 28 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी के हक व हिस्सा तक यदि खाता विभाजन किया जाता है तो राज्यपक्ष को कोई एतराज नहीं है.

धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार कृषक परस्पर सहमति से अपने परिवार के सदस्यों में विभाजन करवा सकता है ऐसी स्थिति में, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नही है. पक्षकारान द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है. इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ़ वैकल्पिक साधन/तरीका है. विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार सहमति के आधार पर जोत के विभाजन के मामलों में राजस्व अधिकारी इस तरह की आपत्ति नही लगाये कि सह कृषकों ने बंटवारा में

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

70/18

A2/5

अपने हिस्सा कम–अधिक क्यों कर लिया. ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि नियमन आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 753 दिनांक 19 अप्रेल, 18 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता श्री केहरसिंह के नाम पर दर्ज है. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी जन्म से ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राजीनामा दिनांक 31 मई, 2018 के अनुरूप पक्षकारान अपने अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

|| आदेश ||

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 31 मई, 2018 के अनुरूप **वादी श्री सरजीतसिंह को** – चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 15(0.253), किला नम्बर 16/1(0.127) कुल 0.380 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री बलवीरसिंह को** – चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 4 से 7 (1.012) हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री अवतारसिंह को** – चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 13/2(0.127), किला नम्बर 14(0.253), किला नम्बर 16/2(0.126), किला नम्बर 17 एवं 18(.506), किला नम्बर 25(0.127) कुल 1.139 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 3 श्री राजमन्दरसिंह, प्रतिवादी संख्या 4 श्री छिन्दरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 5 श्री बलतेजसिंह को** – चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 23 एवं 24(0.506), किला नम्बर 25(0.126) कुल 0.632 हैक्टर विभाजित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 10 जुलाई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(श्रीगंगानगर)

70/18

A2
6

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

सरजीतसिंह आत्मज श्री केहरसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

...वादी

बनाम

1. बलवीरसिंह एवं
2. अवतारसिंह आत्मजन श्री केहरसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
3. राजमन्दरसिंह,
4. छिन्दरसिंह एवं
5. बलतेजसिंह आत्मजन श्री हरनेकसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 70/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–6) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री सरजीतसिंह को – चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 15(0.253), किला नम्बर 16/1(0.127) कुल 0.380 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री बलवीरसिंह को** – चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 4 से 7 (1.012) हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री अवतारसिंह को** – चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 13/2(0.127), किला नम्बर 14(0.253), किला नम्बर 16/2(0.126), किला नम्बर 17 एवं 18(.506), किला नम्बर 25(0.127) कुल 1.139 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 3 श्री राजमन्दरसिंह, प्रतिवादी संख्या 4 श्री छिन्दरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 5 श्री बलतेजसिंह को** – चक 7 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 91 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 23 एवं 24(0.506), किला नम्बर 25(0.126) कुल 0.632 हैक्टर विभाजित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... दर वार्षिक....शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10 जुलाई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00

70/18

A2/7

व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	कुल	**00.00**

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर